ग्राम पंचायत डढम्ब, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डढम्ब, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अंजू कुमारी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री देवेंदर पॉल	01-04-22 से 20-09-23
2.	श्री विशाल ठकियाल	21-09-23 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डढम्ब के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	1.44
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.15
3.	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.41
4.	7	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.08
5.	09	खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को लाखों के अनियमित भुगतान	1.80
6.	10	दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करना	0.01
7.	11	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	5.34
8.	12	आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान	0.13
9.	13	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक व अनियमित भुगतान	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डढम्ब का गत अंकेक्षण अवधि 01.04.19 से 31.03.21 हेतु किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2021" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5, 5.1,5.2	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	अनिर्णीत	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि पंचायत शेष पैरों के निपटारे एवं समायोजन हेतु गम्भीर नहीं है। अतः शेष पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डढम्ब, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 29-07-2024 से 05-08-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, डढम्ब में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	09/22
2023-24	08/23	08/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत डढम्ब, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 335 दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डढम्ब से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत डढम्ब द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत डढम्ब के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	269746.00	44071.00	313817.00	58831.00	254986.00
2023-24	254986.00	11694.00	266680.00	108356.00	158324.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत डढम्ब के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1710381.00	5397869.00	7108250.00	4772066.00	2336184.00
2023-24	2336184.00	3349058.00	5685242.00	3670485.00	2014757.00

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	KCCB RAIT	20040016297	156524.00
2.	SDP/VKVNY	KCCB RAIT	50055918195	71952.00
3.	SKRELIEF/ VKVNY/MPLADS	KCCB RAIT	50055918173	169198.00
4.	5TH FC	KCCB RAIT	50051800652	269959.00
5.	AAY	KCCB RAIT	50051800506	78785.00
6.	15TH FC	HDFC DRAMAN	50100358617554	1568855.00
7.	हस्तगत रोकड़			1800.00
कुल योग				**2317073.00**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2317073.00
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2173081.00
अंतर	**143992.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹1.44 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को ₹**143992.00** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(1) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डढम्ब से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों व बैंक शेषों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत SDP/VKVNY व SKRELIEF/VKVNY/MPLADS स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध SDP/VKVNY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक रैत में खाता संख्या 50055918195 व SKRELIEF/VKVNY/MPLADS स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक रैत में खाता संख्या 50055918173 के अंतर्गत खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी |

अत: इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए |

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस – किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना –

कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं | जिसमें से कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
SDP	29 दिनांक 03.09.2022	निर्माण जीप रोड जोगिन्दर की दुकान से सुखलाल के घर तक	10264
SDRF	30 दिनांक 06.09.2022	निर्माण Interlocking Tiles रास्ता परमजीत के घर से संदीप के घर तक	17094
युवा खेल प्रोत्साहन	36 दिनांक 01.10.2022	निर्माण GPS डढम्ब में खेल सुविधाओं का निर्माण	30000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(4) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डढम्ब से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

5. अनुदान राशि ₹20.15 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2014757.00 उपयोग हेतु शेष थी,

जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(2) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डढम्ब से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.41 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹40550 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	655	50	200	32750	32950	28850	4100
2023-24	750	50	4100	37500	41600	1050	40550

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(3) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

7. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह

पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022-23	5200
2	2023-24	3000
कुल योग		**8200**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(6) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

8. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10(3) के अनुसार सचिव द्वारा केवल एक हज़ार तक की राशि ही हस्तगत इम्प्रेस्ट/रखी जा सकती है|

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ₹1800.00 हस्तगत राशि के रूप में रखा गया था जोकि उपरोक्त नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(7) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हस्तगत राशि को दिनांक 21.05.2024 को जमा करवा दिया गया है तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है|

अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाए।

9. खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1.80 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81 ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत **अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध** ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है|

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -3** में सलंग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान ₹**179812**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जोकि पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं

निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है, जिससे स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(1) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी, प्रस्तुत उतर नियमों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है , क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धनराशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

ANNUAL REPORT

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक, में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	कमलेश कुमारी	.... 5333... 04.11.2023 से 15.11.2023	भू सरंक्षण डंगा पक्का व नाली पूर्ण चंद व दुनी चंद	10.11.2023	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346(5) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित की जाये व अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. क्रय किये गये सामान राशि ₹5.34 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**534292/-** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	निधि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि
1.	**P/13**, दिनांक 03.09.22	15TH FC	मै. हिमाचल ट्रेडर	वाटर कूलर	80 ltr capacity	54000
2.	**287**, दिनांक 03.08.23	MNREGA	मै. रियांशी ट्रेडर	TILES	4090 nos	81796
3.	**282**, दिनांक 03.08.23	MNREGA	मै. रियांशी ट्रेडर	TILES	4750 nos	94996
4.	**289**, दिनांक 03.08.23	MNREGA	मै. रियांशी ट्रेडर	TILES	5200 nos	104000
5.	**P/14**, दिनांक 21.08.23	15TH FC	मै. देव भूमि ट्रेडर	Water Tank	2000 ltr	39900
6.	**P/14**, दिनांक 21.08.23	15TH FC	मै. देव भूमि ट्रेडर	Water Tank	2000 ltr	39900
7.	**P/16**, दिनांक 21.08.23	15TH FC	मै. देव भूमि ट्रेडर	Water Tank	2000 ltr	39900
8.	**P/17**, दिनांक 21.08.23	15TH FC	मै. देव भूमि ट्रेडर	Water Tank	2000 ltr	39900
9.	**P/18**, दिनांक 21.08.23	15TH FC	मै. देव भूमि ट्रेडर	Plastic Dustbin	8 sets	39900
					कुल योग	**534292/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(4) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

12. आपूर्तिकर्ता को ₹0.13 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

15th FC शीर्ष के वाउचर संख्या P13 दिनांक 03.09.2022 के अंकेक्षण पर पाया गया कि मै. हिमाचल ट्रेडर को बिल संख्या 708 दिनांक 20.08.2022 के एवज में Water Cooler के क्रय हेतु ₹54000 का भुगतान किया गया था परन्तु उक्त सामग्री के क्रय हेतु वर्ष 2022-23 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि मै बजरंगबली द्वारा उपरोक्त सामग्री की अदायगी हेतु सबसे कम दर ₹41000 अंकित की गई थी | फलस्वरूप पंचायत द्वारा उपरोक्त सामग्री के क्रय हेतु ₹13000 का अधिक व अनियमित भुगतान मै.हिमाचल ट्रेडर को किया गया था | अत: मै बजरंगबली द्वारा सबसे कम अंकित दर से उपरोक्त सामग्री का क्रय न करने बारे स्थिति/ औचित्य स्पष्ट किया जाए | उपरोक्त सामग्री की क्रय हेतु निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी निम्नानुसार है :-

Sr. No.	Name of Vendor	Item Name	Rate
1	M/S BAJRANGBALI ENTERPRISES	WATER COOLER 80 LTR	41000
2	M/S HIMACHAL TRADER	WATER COOLER 80 LTR	55000
3	M/S DEV BHUMI TRADER	WATER COOLER 80 LTR	49914
4	M/S RIYANSHI ENTERPRISES	WATER COOLER 80 LTR	40100(GST included) (Fitting cost extra)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(6) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए कृत भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए एवं उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने

उपरांत नियमित करवाया जाए अन्यथा कृत अनियमित/अधिक भुगतान की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये।

13. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.06 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

विभिन्न निर्माण कार्यों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शटरिंग) का निष्पादन निर्धारित मापदंडो के अनुसार कम किया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शटरिंग) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	C/O Interlocking path from Parveen Sharma house to BidhiChand house	मनरेगा	28781 पृष्ट संख्या 97-98	सीमेंट	56 बैग	48 बैग	8 बैग	400	3200
	कुल योग (A)								**3200**
2	C/O Land Protection wall Shubhasna devi land	मनरेगा	28781 पृष्ट संख्या 26-27	सीमेंट	70 बैग	66 बैग	4 बैग	343.74	1375
	कुल योग (B)								**1375**
3	C/O Jeepable road from Shashi Mehta land to Haar	मनरेगा	28781 पृष्ट संख्या 68-69	सीमेंट	75 बैग	72 बैग	3बैग	343.74	1031
	कुल योग (C)								**1031**

4	C/O Drain Rajesh Kumar Land	15th FC	9408 पृष्ट संख्या 99-100	बजरी	120 cft	116 cft	4 cft	48	192
				रेत	60 cft	56 cft	4 cft	56	224
				सीमेंट	16 बैग	15 बैग	1	400	400
	कुल योग (D)								**816**
	कुल योग (A+B+C+D)								**6422**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(5) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	09/22	951043.00
2.	2023-24	08/23	815378.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(2) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 09/22 व 08/23 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 09/22 व 08/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347(3) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33व77(4)
4	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
5	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम1997	8	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(11) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(12) दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP DODHAMB-3

दिनांक 05.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4759 - 4763
22 OCT 2024 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)304/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डढ़म्ब, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DODHAMB BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	269746.00	44071.00	313817	58831.00	254986.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 269746.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT DODHAMB BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	254986.00	11694.00	266680	108356.00	158324

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 254986.00

J.A

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dodhamb
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत दूदंब
विo खo रैत, जिला कांगड़ा
हस्ताक्षर
दिनांक

22

परिशिष्ट/पैरा-5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP DODHAMB BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0	1787898.00	1787898.00	1787898.00	0.00
3	SK RELIEF/VKVNY/MPLADS	26494.00	1218007.00	1244501.00	1180076.00	64425.00
4	5TH FC	247840.00	262860.00	510700.00	226980	283720.00
5	AAY	74339.00	2119.00	76458.00	0.00	76458.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SK RELIEF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	55	0.00	55.00	55.00	0.00
12	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	148909.00	992492.00	1141401.00	914731.00	226670.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1212744.00	1134493.00	2347237.00	662326.00	1684911.00
	TOTAL	1710381.00	5397869.00	7108250.00	4772066.00	2336184.00

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP DODHAMB BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	1571912.00	1571912.00	1571912.00	0.00
3	SK RELIEF/VKVNY/MPLADS	64425.00	741798.00	806223.00	637025.00	169198.00
4	5TH FC	283720.00	289239	572959.00	303000	269959.00
5	AAY	76458.00	2327.00	78785.00	0.00	78785.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDRF	0.00	0	0.00	0	0.00
9	SK RELIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	226670.00	301947.00	528617.00	456665.00	71952.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1684911.00	441835.00	2126746.00	701883.00	1424863.00
	TOTAL	2336184.00	3349058.00	5685242.00	3670485.00	2014757.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2336184.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dodhamb
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

23

हस्ताक्षर
दिनांक

BANK DETAIL OF GP DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016297	269346.00
2	SDP/VKVNY	KCCB RAIT	50055918195	148909.00
3	SK RELIEF/VKVNY/ MPLADS	KCCB RAIT	50055918173	26494.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50051800652	247840.00
5	AAY	KCCB RAIT	50051800506	74339.00
6	TSC	KCCB RAIT	50051800663	55.00
7	15TH FC	HDFC DRAMAN	50100358617554	1542872.30
		CASH IN HAND		400
		TOTAL		2310255.30

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016297	231901.00
2	SDP/VKVNY	KCCB RAIT	50055918195	226670.00
3	SK RELIEF/VKVNY/ MPLADS	KCCB RAIT	50055918173	72125.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50051800652	284560.00
5	AAY	KCCB RAIT	50051800506	76458.00
6	TSC	KCCB RAIT	50051800663	0.00
7	15TH FC	HDFC DRAMAN	50100358617554	2148823.00
		CASH IN HAND		400.00
		TOTAL		3040937.00

BANK DETAIL OF GP DARINI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	20040016297	156524.00
2	SDP/VKVNY	KCCB RAIT	50055918195	71952.00
3	SK RELIEF/VKVNY/ MPLADS	KCCB RAIT	50055918173	169198.00
4	5TH FC	KCCB RAIT	50051800652	269959.00
5	AAY	KCCB RAIT	50051800506	78785.00
6	15TH FC	HDFC DRAMAN	50100358617554	1568855.00
		CASH IN HAND		1800.00
		TOTAL		2317073.00

24

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Darhani
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

J.A

ग्राम पंचायत ... वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

परिशिष्ट -ख पैरा -6 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DODHAMB BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	655	50	200	32750	32950	28850	4100

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT DODHAMB BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	750	50	4100	37500	41600	1050	40550

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dodhamb
Dev. Block Rait, Kangra (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत दुधम्ब
वि.ख. रैत, जिला कांगड़ा
हस्ताक्षर
दिनांक

परिशिष्ट -3

चयनित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को गये भुगतानों का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान की गयी राशि	सामग्री का विवरण			निर्माण कार्य का नाम
					रेत	बजरी	पत्थर	
1	SDP	29/03.09.2022	मै. हिमाचल ट्रेडर्स	10264	130 CFT	102 CFT	--	निर्माण जीप योग्य रोड जोगिन्दर की दुकान से सुखलाल के घर तक
2	SDRF	33/22.05.2022	मै. हिमाचल ट्रेडर्स	19064	230 CFT	202 CFT	--	C/O Interlock path Parmjeet house to Randeep house ward no. 3
3	15th FC	27/23.08.2023	मै.बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माणगंदे पानी की निकासी नाली अनिल कुमार के घर के पास
4	15th FC	28/23.08.2023	मै. बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माण गंदे जल की निकासी नालीरविंदर के घर के पास
5	15th FC	29/23.08.2023	मै. बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माण गंदे जल की निकासी नालीमोहेंदर के घर के पास
6	15th FC	30/23.08.2023	मै. बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माण गंदे जल की निकासी नालीनिखिलकी जमीन के पास
7	15th FC	31/23.08.2023	मै. बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माण गंदे जल की निकासी नालीराजेश कुमार के घर के पास
8	15th FC	32/23.08.2023	मै. बजरंगबली इंटरप्राइजेज	9120	60 CFT	120 CFT	--	निर्माण गंदे जल की निकासी नालीकांता के घर के पास
9	मनरेगा	70/07.12.2022	मै. बजरंगीइंटरप्राइजेज	28520	200 CFT	560 CFT	--	C/O KuhalVirender land to Ashwani land
10	मनरेगा	62/10.12.2022	मै. बजरंगीइंटरप्राइजेज	16604	119 CFT	265 CFT	--	C/O path Amar singh house to Chopat
11	मनरेगा	58/05.12.2022	मै. बजरंगीइंटरप्राइजेज	18390	135 CFT	290 CFT	--	C/O Interlocking path Nihali to Udhamsingh house
12	मनरेगा	66/10.12.2022	मै. बजरंगीइंटरप्राइजेज	32250	450 CFT	275 CFT	--	C/O of Interlocking path from pull to Amar singh Land
कुल योग				179812	1624 CFT	2414 CFT		

Junior Auditor
H.P. State Audit Department
Shimla - 9